न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 12.02.2021

राजस्व वाद सं0 11/21

1. हरिओम उम्र 40 वर्ष पुत्र नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2. रम्मा उम्र 45 वर्ष पुत्री नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3. कसूमल उम्र 42 वर्ष पुत्री नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र कमलू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
   आदेश दिनांक 19.03.2025 से नाम डिलीट किया गया
2. रामस्वरूप पुत्र नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद, जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 05.12.2025

ब हाजिरी
वादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – नो इन्सट्रक्शन प्लीड

1. उपरोक्त वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 में खाता संख्या 807 की आराजी ख0नं0 1004/1766 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 1006 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 1007 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.16 बीघा हिस्सा 1/2 तथा ग्राम देवरी के ही खाता संख्या 381 के ख0नं0 1008 रकबा 3.18 बीघा, ख0नं0 1061 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4.02 बीघा हिस्सा 1/2 व ग्राम देवरी के ही खाता संख्या 320 के ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र पुत्री तथा प्रतिवादी कम 2 वादीगण का भाई है। विवादित आराजीयात में से खाता संख्या 807 व 381 की आराजीयात वादीगण की पैत्रक है, जो सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पितामह कमलू के खाते दर्ज रही है वादीगण के पितामह कमलू का देहान्त वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 के बाल्यकाल में ही हो गया था जिनका लालन पालन उनके काका प्राण ने किया। इस खाता संख्या 807 व 381 की आराजी के अलावा ग्राम देवरी की ही आराजी ख0नं0 1522 रकबा 1.12 बीघा हिस्सा 1/2 भी वादीगण की पैत्रक थी, जिसे प्रतिवादी कम 1 ने अन्य को विक्रय कर प्राप्त विक्रय धन [illegible] आराजी ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 को [illegible] आराजी वादीगण की पैत्रक आराजीयात है, जिसमें वादीगण का जन्म[illegible] अधिकार है। प्रतिवादी कम 1 वादीगण से रंजिश रखते हैं व प्रतिवादी कम 2 से प्रेम अनुराग रखते हैं [illegible] वादीगण को विवादित आराजीयात से वंचित करना चाहते हैं इसी उद्देश्य से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.03.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

क्रम 1 ने बिना किसी आवश्यकता के विवादित आराजीयात में से खाता संख्या 807 की आराजी ख0नं0 1004/1766 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 1006 रकबा 1.19 बीघा एवं ख0नं0 1007 रकबा 2.12 बीघा किता 3 कुल 5.16 बीघा हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 320 के ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 का फर्जी कागजी विक्रयपत्र दिनांक 02.12.2020 को प्रतिवादी क्रम 2 जो प्रतिवादी क्रम 1 का पुत्र है तथा वादीगण का भाई है को रजिस्टर्ड करा दिया, यह विक्रय अवैध एवं विधि विरूद्व होने से वादीगण के हिस्सा 1/2 का 3/5 तक बेअसर होकर वादीगण के विरूद्व प्रभावशून्य है। विवादित आराजी आराजीयात में प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/2 का 1/5 ही बनता है जो मात्र 1.01 बीघा होता है, जबकि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा 3.03 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 2 को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी क्रम 1 ने कभी पिता धर्म व कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया वादीगण की मां ने ही वादीगण का पालन पोषण किया है। विवादित आराजी पैत्रक होने से विवादित आराजीयात में वादी क्रम 1 का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में जन्म से ही अधिकार है तथा वादी क्रम 2 व 3 का हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से विवादित आराजीयात में प्रतिवादी क्रम 1 हिस्से में अधिकार है। इस तरह वादीगण विवादित आराजीयात में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में से 3/5 जो कुल आराजी का 3/10 होता है पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने के अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 02.12.2021 को शेष विवादित आराजी का विक्रय करने की धमकी दी है, इस कारण वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के हकदार हैं। वाद कारण दिनांक 02.12.2021 को विक्रय की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्व 80 (2) सीपीसी पर वाद पेश है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 में खाता संख्या 807 की आराजी ख0नं0 1004/1766 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 1006 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 1007 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.16 बीघा हिस्सा 1/2 तथा ग्राम देवरी के ही खाता संख्या 381 के ख0नं0 1008 रकबा 3.18 बीघा, ख0नं0 1061 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4.02 बीघा हिस्सा 1/2 व ग्राम देवरी के ही खाता संख्या 320 के ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 प्रतिवादी क्रम 1 हिस्सा पर हिस्सा 3/5 का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री पारित फरमावें, आदि।

2. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रकाशचन्द नामदेव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जबाव पेश नहीं किया गया। दिनांक 19.03.2025 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया।

3. वादीगण की ओर से पी.डबलू 1 वादी हरिओम के बयान कराये गये और नकल जमाबंदी ग्राम देवरी संवत 2071–74 खाता संख्या 807 प्रदर्श 1, 320 प्रदर्श 2 व 381 को प्रदर्श 3, विक्रयपत्र दिनांक 05.11.20 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध सेटलमेंट सम्वत 2020–39 प्रदर्श 5 व 6 को पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.03.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

4. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद की विवादित आराजीयात खाता संख्या 807

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

ख0नं0 1004/1766 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 1006 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 1007 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.16 बीघा हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 381 ख0नं0 1008 रकबा 3.18 बीघा, ख0नं0 1061 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4.02 बीघा तथा आराजी खाता संख्या 320 ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 को पैत्रक होना बतलाकर प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में स्वयं को हिस्सा 3/5 से खातेदारी हक की घोषणा चाही है।

5. प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम देवरी भू प्रबन्ध सेटलमेंट सम्वत 2020–39 प्रदर्श 6 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 1004/1766 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 1006 रकबा 1.19 बीघा, ख0नं0 1007 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 5.16 बीघा हिस्सा 1/2 तथा आराजी ख0नं0 1008 रकबा 3.18 बीघा, ख0नं0 1061 रकबा 0.04 बीघा प्रान वल्द माधो व नाथू वल्द कमरू कोम कराड सा0 देह के नाम संयुक्त खाता दर्ज है, इससे प्रमाणित है कि इस आराजी में दर्ज हिस्सा 1/2 नाथू का स्वअर्जित है। इसके अलावा विवादित आराजी ख0नं0 434 रकबा 2.05 बीघा हिस्सा 1/6 को प्रतिवादी कम 1 नाथू द्वारा अन्य पैत्रक भूमि ख0नं0 1522 रकबा 1.12 बीघा हिस्सा 1/2 ग्राम देवरी के विक्रय प्रतिफल से क्रय किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार विवादित आराजीयात को वादीगण पैत्रक साबित करने में विफल रहे हैं और विवादित आराजीयात पैत्रक होना प्रमाणित नहीं होने से वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं पाये जाते हैं।

6. अतः वादीगण का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.03.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक–डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

1–हरिओम उम्र 40 वर्ष पुत्र नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

2–रम्मा उम्र 45 वर्ष पुत्री नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

3–कसूमल उम्र 42 वर्ष पुत्री नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–नाथू पुत्र कमलू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

आदेश दिनांक 19.03.2025 से नाम डिलीट किया गया

2–रामस्वरूप पुत्र नाथू जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद, जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,183,188 आर.टी.एक्ट

राजस्व वाद सं. 11/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..... व हाजरी.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।** निज ..... मुबलिग.....बावत.

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **05.12.2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.03.18 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner